


VAKALATNAMA

(RULE 4(1) OF THE RULES FARMED UNDER THE ADVOCATES ACT, 1961)
COURT OF MADHYA PRADESH AT



354
1830
III. निगरानी/सीधेरी भू-रा/2017/1830

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

निग.प्र.क.

श्रीमती साक्षी मालू पुत्री श्री विनोद कुमार कृषक ग्राम इछावर,
तहसील इछावर जिला सीहोर

हाल निवासी सिवनी जिला सिवनी (म.प्र.)..... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

01. श्रीमती प्रमिला बाई मेहता पत्नी स्व. श्री अनिल मेहता

02. अभिषेक मेहता पुत्र स्व. श्री अनिल मेहता

03. अनुराग मेहता पुत्र स्व. श्री अनिल मेहता

कमांक 1 से 3 निवासी ए-65 एजोटिका आश्रम चौराहा,
एयर पोर्ट रोड भोपाल जिला भोपाल (म.प्र.)

04. अभय कुमार मेहता आ. स्व. श्री महेन्द्र प्रताप मेहता

कृषक एवं निवासी ग्राम इछावर तहसील इछावर जिला सीहोर

05. म.प्र. शासनरेस्पॉन्डेन्ट्स

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 05.06.2017 प्रकरण कमांक
1 स्व.निग. 2016-17 पारित आदेश अपर कलेक्टर सीहोर

15/6/17
354

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक म/निगरानी/सूरा/17/1830, लाक्षीमाल/पुमिलापट्ट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>20/12/18</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>श्री. क. श्रीवास्तव</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सीहोर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>01/स्व.निगर/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>05/06/17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>भोपाल</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/2019</u> को संभागीय आयुक्त <u>भोपाल</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right"><u>[Signature]</u> सदस्य</p>	

[Signature]